न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबड़ी~~ सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

श्याम लाल बनाम गुलाब

वाद संख्या / ~~प्रार्थना पत्र~~ 157 / 2025

क्र. स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17-9-2025	आज यह पत्रावली SDO रामपुराडाबड़ी से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इंतजार उभयपक्ष हेतु दिनांक 23/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	23-9-25	पत्रावली प्रस्तुत/वि.फे.-उप। बहस कुरेजात उभयपक्ष सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात के आधार पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

23-9-25 (91)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 157/2025 — वाद प्रस्तुति दिनांक – 10.06.2024

श्यामलाल पुत्र कानाराम, जाति अहीर (यादव), गांव मुंडिया, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1 गुलाब चंद पुत्र कानाराम जाति अहीर (यादव)
2. बद्रीनारायण पुत्र कानाराम जाति अहीर (यादव)
3 सिंगारी देवी पत्नी गुलाबचंद जाति अहीर (यादव)
4 कैलाशचंद पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
5 चौगान पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
6 प्रकाश चंद पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
7 बनवारी लाल पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
8 रामलालाल पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
9.रामेश्वर पुत्र किशना जाति कुम्हार (प्रजापति)
10. लालाराम पुत्र किशना जाति कुम्हार (प्रजापति)
11 अशोक पुत्र झुंथाराम जाति जाट
12 गलकू पत्नि तेजपाल जाति जाट
13 राकेश पुत्र झुंथाराम जाति जाट
14 विमला पुत्री झुंथाराम, जाति जाट
15 सुमन पुत्री झुंथाराम जाति जाट
समस्त निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील जालसू, जिला जयपुर
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू जिला जयपुर

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री महावीर प्रसाद जाट – वादी की ओर से
(2) श्री के.आर.शर्मा – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
(3) श्री रामदेव चौधरी – प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: Self Attested

निर्णय दिनांक:– 23.09.2025

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

[illegible] पत्र में [illegible] द्वारा अंकित किया गया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 [illegible] वाके ग्राम का नाम मुण्डिया, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू.अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.7300 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.7700 हैक्टयर वाके ग्राम का नाम मूण्डिया, पटवार हल्का दुर्गा का वास. भू.

अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर मे स्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.5700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.4000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.4300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98/504 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99/506 रकबा 0. 1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99/507 रकबा 0.0500 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.5700 हैक्टयर वाके ग्राम का नाम मूण्डिया,, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू.अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित है। वाद पत्र के मद नम्बर 1 लगायत 3 में वर्णित भूमि को आगे के पैराज मे भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 2. 2900 हैक्टयर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादी का हिस्सा 199/687 दर्ज रिकार्ड है जिसका क्षेत्रफल 0.6633 हैक्टयर बनता है, तथा याद पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित खसरा नम्बरान 97, 98, 99 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7700 हैक्टयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है, जिसका क्षेत्रफल 0.9233 हैक्टयर बनता है तथा वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 90, 95, 96, 98/504, 99/506, 99/507 कुल किता 6 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है जिसका क्षेत्रफल 0.2616 हैक्टयर बनता है अर्थात वादी का भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण में वादी के 1.8482 हैक्टयर भूमि हिस्से में आती है व शेष हिस्से की भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार है। वादी वादग्रस्त भूमि का वादी के पूर्व हकधारीयों व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर रखा है व मौखिक विभाजन के अनुसार ही काबिज काश्त है। वादी को मौखिक विभाजन में भूमि खसरा नम्बर 153 प्राप्त हुई है और वादी प्राप्त भूमि पर अपने हिस्से अनुसार भूमि खसरा नम्बर 153 पर काबिज व काश्त है तथा वादी ने अपने हिस्से की भूमि जो कि मौखिक विभाजन मे प्राप्त हुई है, पर मकान, पशुओं के बाडे आदि का निर्माण कर रखा है तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है तथा भूमि पर काश्त कर उपज प्राप्त करता आ रहा है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से पूर्व मे किये गये बॉंहगी विभाजन के अनुसार अपनी भूमि पर पक्का मकान, बाडा आदि भी बना रखा है तथा वादी विधिक प्रावधानों के अनुसार अपनी मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादी मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाकर अलग से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी को अब प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से आये दिन हैरान व परेशान करते रहते है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि शामलाती होने के कारण मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि पर सुधार कार्य और डवलपमेन्ट करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए वादी के लिए अब भूमि विवादग्रस्त जो कि राजस्व रिकार्ड मे शामिल मे दर्ज है, पर कृषि कार्य करते रहना मुश्किल होता जा रहा है इसलिए वादी को अपने हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाकर विधिवत् रूप से विभाजन करवा कर खातेदारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। दिनाँक 02.06.2024 को वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

प्रतिवादीगण से वाद पत्र के मद नम्बर 1 लगायत 3 में वर्णित भूमि को मौखिक विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया और इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नही माने तथा मौखिक विभाजन के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु सहमत नही हुए, और प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया, प्रतिवादीगण के उक्त कृ त्य के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से मान्य न्यायालय के समक्ष यह वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी नम्बर 16 तहसीलदार जालसू जिला जयपुर को लैण्ड होल्डर होने के कारण विभाजन के वाद मे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 09.07.2024 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 रिकॉर्ड से संबंधित है। ग्राम मुण्डिया में भूमि स्थित है। वाद पत्र की मद संख्या–2 रिकॉर्ड से संबंधित है। ग्राम मुण्डिया में भूमि स्थित है। वाद पत्र में मद संख्या–3 रिकॉर्ड से संबंधित है। ग्राम मुण्डिया में भूमि स्थित है। वाद पत्र की मद संख्या–4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या–5 खातेदारों के हिस्से से संबंधित है। वाद पत्र की मद संख्या 6 पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है इस कारण से कतई स्वीकार नहीं है। वादी का यह कहना भी पूर्णतया मिथ्या है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने भूमि का मौके पर विभाजन कर रखा हो एवं वादी का यह कहना भी पूर्णतया मिथ्या है कि वादी को मौखिक विभाजन में खसरा नम्बर 153 प्राप्त हुई हो और खसरा नम्बर 153 पर काबिज काश्त हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि में अलग–अलग खातों के हिसाब से बंटवारा होना है एवं मौके पर भी अलग–अलग खाता के हिसाब से ही सभी हिस्सेदारान काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद पत्र की मद संख्या–7 पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है इस कारण से कतई स्वीकार नहीं है। वादी का यह कहना भी पूर्णतया मिथ्या है कि पक्षकारान के मध्य बाइनी विभाजन के अनुसार अपनी भूमि पर पक्का मकान बाडा आदि बना रखा हो। वाद पत्र की मद संख्या–8 पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है इस कारण से कतई स्वीकार नही है। वादी का यह कहना पूर्णतया मिथ्या है कि मौके विभाजन से सुधार कार्य और डवलपमेन्ट करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो। वाद पत्र की मद संख्या 9 पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जालसू (जयपुर)

तथ्यों पर आधारित है इस कारण से कतई स्वीकार नहीं है। वादी का यह कहना पूर्णतया मिथ्या है कि दिनांक 02.06.2024 को रिकॉर्ड में विभाजन कराने के लिये निवेदन किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न ही नहीं हुआ इसी आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि मौखिक विभाजन की काई कानूनी महता नहीं है जब वाद बटवारे का हो ऐसी स्थिति में वादी ने पूर्व के मौखिक बटवारे के आधार पर हस्तगत वाद में विभाजन की डिक्री चाही है एंव अन्य अनुतोष चाहे गये है।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई वाद कृषि भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 2.7300 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.7700 हैक्टयर वाके ग्राम का नाम मूण्डिया, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू.अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर मे स्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.5700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.4000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.4300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98/504 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99/506 रकबा 0. 1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99/507 रकबा 0.0500 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.5700 हैक्टयर वाके ग्राम का नाम मुण्डिया, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू.अभि.नि.क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण को आदेशित किया जाता है कि वे कब्जे काश्त के मध्नजर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर घोषणा अनुसार तकासमा कर, जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, उभयपक्ष की उपस्थिति में, उनको नोटिस देकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर तीन–तीन प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4139 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. श्यामलाल पुत्र काना जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 153/3 रकबा 1.8483 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गुलाब चंद पुत्र काना जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) देना बैंक शाखा कालाडेरा हि. 16221/18821, सिणगारी देवी पत्नी गुलाबचंद हि. 2600/18821 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 95/2 रकबा 0.2061 हैक्टेयर, 99/506 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 96/3 रकबा 0.0030

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर, 98/504 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 98 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 99/507/2 रकबा 0.0020 हैक्टेयर, 97 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 99/2 रकबा 1.1693 हैक्टेयर, 153/2 रकबा 0.3417 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.8821 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. बद्रीनारायण पुत्र काना जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) देना बैंक शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 96/2 रकबा 0.2735 हैक्टेयर, 99/507/1 रकबा 0.0480, 99/1 रकबा 1.5607 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.8822 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अशोक पुत्र झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट, सा. देह खातेदार, गलकू पत्नी तेजपाल हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार, राकेश पुत्र झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, विमला पुत्री झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, सुमन पुत्री झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 90/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, 96/1 रकबा 0.1535 हैक्टेयर, 95/1 रकबा 0.1014 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7849 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. कैलाशचंद पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, चौगान पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, प्रकाशचंद पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, बनवारी लाल पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, रामपाल पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र किशनाराम हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, लालाराम पुत्र किशनाराम हि 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 153/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. गुलाबचंद पुत्र काना जाति अहीर हि. 1/2 जाति यादव सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता देना बैंक शाखा कालाडेरा, बद्रीनारायण पुत्र काना जाति अहीर हि. 1/2 सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता देना बैंक शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 90/2 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 95/3 रकबा 0.0925 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1325 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट [illegible] नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय [illegible] जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

(61)

प्रकरण संख्या – 157/2025
बउनवानी – श्यामलाल बनाम गुलाबचंद वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.09.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक – 10.06.2024

नियमित वाद संख्या – 157/2025

श्यामलाल पुत्र कानाराम, जाति अहीर (यादव), गांव मुंडिया, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1 गुलाब चंद पुत्र कानाराम जाति अहीर (यादव)
2. बद्रीनारायण पुत्र कानाराम जाति अहीर (यादव)
3 सिंगारी देवी पत्नी गुलाबचंद जाति अहीर (यादव)
4 कैलाशचंद पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
5 चौगान पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
6 प्रकाश चंद पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
7 बनवारी लाल पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
8 रामलालाल पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
9.रामेश्वर पुत्र किशना जाति कुम्हार (प्रजापति)
10. लालाराम पुत्र किशना जाति कुम्हार (प्रजापति)
11 अशोक पुत्र झुंथाराम जाति जाट
12 गलकू पत्नि तेजपाल जाति जाट
13 राकेश पुत्र झुंथाराम जाति जाट
14 विमला पुत्री झुंथाराम, जाति जाट
15 सुमन पुत्री झुंथाराम जाति जाट
समस्त निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील जालसू, जिला जयपुर
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू जिला जयपुर

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. श्यामलाल पुत्र काना जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा [illegible] 53/3 रकबा 1.8483 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. गुलाब चंद पुत्र काना जाति अहीर (यादव) [illegible] राहिन (पूर्ण खाता) देना बैंक शाखा कालाडेरा हि. 16221/18821, सिणगारी देवी पत्नी गुलाबचंद हि. 2600/18821 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 95/2 रकबा 0.2061 हैक्टेयर, 99/506 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 96/3 रकबा 0.0030 हैक्टेयर, 98/504 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 98 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 99/507/2 रकबा 0.0020 हैक्टेयर, 97 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 99/2 रकबा 1.1693 हैक्टेयर, 153/2 रकबा 0.3417 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.8821 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

(61)

प्रकरण संख्या – 157/2025
बउनबानी – श्यामलाल बनाम गुलाबचंद वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.09.2025

3. बद्रीनारायण पुत्र काना जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) देना बैंक शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 96/2 रकबा 0.2735 हैक्टेयर, 99/507/1 रकबा 0.0480, 99/1 रकबा 1.5607 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.8822 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अशोक पुत्र झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट, सा. देह खातेदार, गलकू पत्नी तेजपाल हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार, राकेश पुत्र झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, विमला पुत्री झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, सुमन पुत्री झूंथाराम हि. 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 90/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, 96/1 रकबा 0.1535 हैक्टेयर, 95/1 रकबा 0.1014 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7849 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. कैलाशचंद पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, चौगान पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, प्रकाशचंद पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, बनवारी लाल पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, रामपाल पुत्र मोतीराम हि. 1/15 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र किशनाराम हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, लालाराम पुत्र किशनाराम हि 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 153/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. गुलाबचंद पुत्र काना जाति अहीर हि. 1/2 जाति यादव सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता देना बैंक शाखा कालाडेरा, बद्रीनारायण पुत्र काना जाति अहीर हि. 1/2 सा. देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता देना बैंक शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 90/2 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 95/3 रकबा 0.0925 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1325 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

61

प्रकरण संख्या — 157 / 2025
बउनवानी — श्यामलाल बनाम गुलाबचंद वगै०
निर्णय दिनांक :— 23.09.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:58 IST
Reason: SelfAttested